

सं०सं०-17/विविध 1-118/2015

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय :- डा0 प्रियंका, सीनियर रेजिडेंट, नेत्र विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को दिनांक-21.03.2014 से 14.09.2014 तक मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-6268 दिनांक-20.04.2015 के प्रसंग में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2498 दिनांक-12.04.2007 एवं अधिसूचना संख्या-640 दिनांक-19.06.2015 के प्रावधानों के अंतर्गत मात्र नियमित महिला सरकारी सेवकों को मातृत्व अवकाश देय है। बाह्य/संविदा बाह्य चिकित्सक को उक्त अधिसूचना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश देय नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-


(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 1-118/2015 - 741/17/ पटना, दिनांक- 21/10/16

प्रतिलिपि :- राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।